न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास एम.आर. बागड़िया, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 179/11/टीआई

1. श्रवण कुमार | पुत्रगण ईश्वर लाल
2. टोडा राम |
3. गिरधारी |
4. बनवारी |
5. भंवरलाल | पुत्रगण मेवा राम
6. जमन लाल |
7. अणची देवी पत्नी मेवा राम

समस्त जाति जाट निवासीगण चैनपुरा तन खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रार्थीगण

बनाम

1. चोखा राम | पुत्रगण धन्ना राम
2. टीकू राम |
3. ईश्वर राम | पुत्रगण मांगूराम
4. मेवा राम |
5. नंदा राम |

समस्त जाति जाट निवासीगण चैनपुरा तन खाचरियावास दांतारामगढ जिला सीकर

6. पटवारी, पटवार हल्का, कुली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
7. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर
8. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति—

1. श्री आनन्द राड़ वकील प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री नानूराम बुरानिया वकील अप्रार्थी सं. 1,2,4,5 की ओर से
3. श्री बंशीधर बाज्या वकील अप्रार्थी सं. 3 की ओर से

निर्णय दिनांक— 13.01.2014

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नं. 771, 780,781 किता 3 कुल रकबा 3.38 है0 ग्राम चैनपुरा प.मं. कुली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। जिसके पुराने ख.नं. 37 रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा थे। उपरोक्त वर्णित आराजियात में आवेदक सं. 1 ता 4 का 2/3 हि. आवेदक सं. 5 ता 7 का 1/3 हि. है

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

और आवेदकगण उपरोक्त वर्णित आराजियात पर निर्बाध रूप से चले आ रहे है तथा 20 वर्ष पूर्व से ही उक्त आराजियात के चारो तरफ मिट्टी का डोल लगाकर आवेदकगण ने अपनी उपरोक्त वर्णित आराजियात की पुख्ता नींव सींव कायम कर रखी हे तथा उपरोक्त वर्णित डोल के अंदर अवस्थित भूमि से अनावेदकगण या अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक अधिकार नहीं हैं पैमाईस के वक्त राजस्व कर्मचारियों ने लापरवाही पूर्वक तरीके से आवेदकगण की भूमि के पुराने ख.नं. 37 के नक्शे में आवेदकगण की भूमि ख. नं. 771, 780, 781 के अलावा गलत रूप से आवेदकगण की भूमि के नक्शे में ही खसरा नं. 771/842 तथा 781/843 दर्शा दिये तथा उक्त खसरा नं. 771/842 व 781/843 की खातेदारी अनावेदकगण के नाम दर्शा दी जो कतई गलत व अनुचित है। इसलिए उपरोक्त वर्णित भूमियों के नक्शों को दुरूस्त कर आवेदकगण की भूमियों के नक्शों को दर्शित नम्बर 771/842 व ख.नं. 781/843 को हजफ कर आवेदकगण की भूमियों के नक्शों को दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। उक्त गलत नक्शों व खातेदारी की आड़ में आवेदकगण के हक हिस्से व अधिकार की आराहिजयात को रहन, बेचान व हस्तांतरण कर आवेदकगण को उनकी आराजियात से जबरन बेदखल करने की कुचेष्टा में है। यदि अनावेदकगण सफल होते है तो आवेदकगण को इस कदर अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति बाद में किसी भी तरह से संभव नही हो सकेगी। इसलिए आवेदकगण के कब्जे काश्त व स्वामित्व की आराजियात में गलत रूप से अंकित खसरा नं. 771/842 व 781/843 को हजफ कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावें व अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें। उक्त वर्णित आराजियात की गलत खातेदारी की वजह से अनावेदकगण के मन में बेईमानी आ गई है। अनावेदकगण उक्त गलत नक्शों की आड़ में आवेदकगण के हक अधिकार व कब्जे काश्त की आराजियात को रहन, बेचान या हस्तांतरण करने व आवेदकगण को उनके कब्जे काश्त की आराजियात से जबरन बेदखल करने की कुचेष्टा में है जिसका अनावेदकगण को कोई हक अधिकार नहीं है। उक्त गलत नक्शों व खातेदारी की आड़ में आवेदकगण के हक अधिकार व कब्जे काश्त की आराजियात को रहन, बेचान या हस्तांतरण करने तथा आवेदकगण के उपयोग उपभोग में बाधा डालने की कुचेष्टा में कामयाब होते है तो आवेदकगण को इस कदर अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति बाद में किसी भी तरह से संभव नहीं हो सकेगी। इसलिए उपरोक्त वर्णित भूमि ख.नं. 771/842 व 781/843 को हजफ कर राजस्व रिकार्ड व नक्शों को दुरूस्त किया जावें तथा अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें कि वो उक्त वर्णित गलत नक्शों व खातेदारी की आड़ में आवेदकगण के कब्जे काश्त व स्वामित्व की आराजियात को रहन बेचान या हस्तांतरण करने व आवेदकगण की कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने से स्वयं मय परिजन आदि अस्थायी निषेधाज्ञा बाज रहे। प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थीगण का सुदृढ है एवं सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण

अधिकारी
दातारामगढ़

के पक्ष में होने से विवादग्रस्त संपदा को अनावेदकगण द्वारा किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द करने अपूर्तनीय क्षति आवेदकगण को होगी। अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें कि आवेदन की मद सं. 4 में वर्णित आराजियात ख.नं. 770, 780, 781, 771/842, 781/843 बाबत अनावेदकगण उक्त गलत खातेदारी व नक्शे की आड़ में उपरोक्त आराजियात को रहन, बेचान या हस्तांतरण करने तथा आवेदकगण के कब्जे, काश्त में किसी भी तरह से दखलंदाजी करने से स्वयं मय परिजन आदि ताफैसला दावा बाज रहे।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. ता 8 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1,2, 4 व 5 की ओर से वकील श्री नानूराम बुरानिया उपस्थित हुए व बिन्दुवार जवाब आवेदन पेश कर काउंटर आवेदन पेश किया कि प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 37 रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा जिसके नये खसरा नं. 771, 780, 781 किता 3 कुल रकबा 3.38 है0 कायम हुए है तथा नक्शा ट्रेश भी पुराने ख.नं. 37 के अनुरू‌ ही तैयार किया गया है पुराने व नये नक्शे के मिलान करने पर भी कोई भिन्नता नहीं आती है। काउंटरकर्ता की खातेदारी की भूमियां खसरा नं. 771/842 व 781/843 है जो कि पश्चिमी ओर भूमि से उच्ची मिट्टी का डोल है जिस पर पेड़ पौधे लगे हुये है। उक्त भूमि के पूर्वी ओर काउंटरकर्ता की भूमियां निची है। मिट्टी निची नहीं आये इसलिए कटान लगा रखा है इसलिए उक्त भूमियों की सींव अलग, अलग है तथा वादीगण की भूमियों के सरफेश में ही काउंटरकर्ता ख.नं. 771/842, 781/843 की पश्चिमी सींव पर कुंचे व पेड़ पौधे लगा रखे है जिसको वादीगण ने उक्त दावा करने के बाद धीरे धीरे नीचे से मिट्टी निकालकर खोखला कर सींव के निशान मिटाकर 3–4 फुट भूमि अपनी भूमि में मिला ली है तथा हर फसल की बुवाई के समय सींव फोड़कर फुट दो फुट भूमि को काटकर अपनी भूमि में मिला रहा है तथा कहने पर कहता है कि ट्रेक्टर वाले की गलती से सींव खुर्द बुर्द हो गई है पुनः नाप कर सही कर देंगे लेकिन फिर भी आनाकानी कर देता है इसलिए हमेशा फसल बुआई व कटाई के दौरान माहौल तनावपूर्ण रहता है तथा अब राजीरजा सींव को दुरूस्त करने से मना कर दिया है इसलिए प्रार्थीगण दावा दायरी के बाद भूमियों की सींव काटकर अपनी भूमि में मिलाई गई भूमि से वादीगण को बेदखल किया जाकर पुख्ता सींव नींव कायम करवाया जाना आवश्यक एवं उचित है इसलिए काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। भूमि खसरा नं. 771/842 व 781/843 जो कि काउंटर कर्ता की खातेदारी की कृषि भूमियां है जिस पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उक्त भूमियों की सींव पर काउंटरकर्ता ने ही पेड़ पौधे लगा रखे है जिसको प्रार्थीगण धीरे धीरे खोखला कर उखाड़ने की कुचेष्टा कर रहे है। मना करनेपर भी मानने को तैयार नहीं है उल्टा एलानिया धमकी दे रहे है कि मौके मिलते ही पूरी जमीन को अपनी भूमि में मिलाकर

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

अतिक्रमण कर लेंगे, हालांकित प्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है लेकिन यदि प्रार्थीगण अपनी उक्त कुचेष्टा में कामयाब हो गये तो काउंटरकर्ता के विधिक हितों पर गंभीर कुठाराघात होगा जिसकी पूर्ति बाद में कदापि संभव नहीं हो सकेगी इसलिए प्रार्थीगण को प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक एवं उचित है कि वादग्रस्त भूमि की सींव नींव को खुर्द बुर्द करने से बाज रहे। अतः काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें कि वाके ग्राम चैनपुरा तहसील दांतारामगढ में अवस्थित भूमि ख.नं. 771/842 व 781/843 की पश्चिम सींव पर खड़े पेड़ पौधे को काटने व भूमियों को अपनी भूमि में मिलाने से बाज रहे तथा काउंटर कर्ता के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी करने से बाज रहे। काउंटर आवेदन का जवाब वकील प्रार्थीगण ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पुराने ख.नं. 37 के नये नक्शे में ख.नं. 771, 780, 781 के साथ साथ ख.नं. 771/842 व 781/843 को भी पुराने ख.नं. 37 के नक्शे में ही दर्शाया गया है जबकि भूमि ख.नं. 771/842 व 781/843 की खातेदारी गलत रूप से अनावेदकगण के नाम से दर्ज कर दी गई है इसलिए आवेदकगण के कब्जे काश्त व नक्शे में दर्शित ख.नं. 771/842 व 781/843 को विलोपित कर अनावेदकगण की खातेदारी हजफ कर राजस्व रिकार्ड को व नक्शों को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। वर्तमान भूमियां ख.नं. 771/842 व 781/843 जो कि आवेदकगण की पुरानी भूमि ख.नं. 37 के अनुसार बने हुए नये नक्शे में आते है तथा आवेदकगण के ही कब्जे काश्त में है। उक्त भूमियां ख.नं. 771/842 व 781/843 जो कि नये पुराने नक्शे के अनुसार व मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार आवेदकगण के कब्जे काश्त में आते है जबकि खातेदारी गलत रूप से अनावेदकगण के नाम आ गई है जिसको दुरूस्त करवाने के लिये आवेदकगण ने उक्त दावा व आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदकगण ने किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं किया है। आवेदकगण की खातेदारी में रकबा तो सही दर्ज है और आवेदकगण का कब्जा काश्त भी उसकी खातेदारी के रकबे के अनुसार सही बैठता है। राजस्व नक्शों में भूमि ख.नं. 771/842 व 781/843 दर्ज है उस जगह आवेदकगण कदीम से ही बहैसियत मालिक काबिज चले आ रहे है और उसी अनुसार दुरूस्ती हेतु आवेदकगण ने उक्त आवेदन किया है। अनावेदकगण ने जो काउंटर आवेदन पेश किया है वह मय हर्जा खर्चा सहित खारिज होने योग्य है। आवेदकगण को प्रतिबंधित किया जाना न्यायोचित नहीं है बल्कि राजस्व रिकार्डो को दुरूस्त किया जाना व अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना न्यायोचित है कि वो उक्त गलत नक्शों की आड़ में आवेदकगण के कब्जे काश्त में किसी तरह की दखंलदाजी करने से स्वयं मय परिजन तादौराने दावा बाज रहे। अप्रार्थी सं. 3 की ओर से वकील श्री सुरेन्द्रसिंह विश्राम हाजिर हुए एवं जवाब पेश किया एवं प्रार्थीगण के तथ्यों को दोहराते हुए जबाव में कथन किया कि आवेदकगण के कब्जे काश्त स्वामित्व की आराजियात को

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

गलत रूप से अंकित ख.नं. 771/842 व 781/843 को हजफ कर राजस्व रिकार्ड व नक्शे को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित बताया है।

3. उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात पुराने ख.नं. 37 के नक्शे में आवेदकगण की भूमि ख.नं. 771, 780, 781 के अलावा गलत रूप से आवेदकगण की भूमि के नक्शे में ही खसरा नं. 771/842 व 781/843 दर्शा दिये तथा उक्त खसरा नं. 771/842 व 781/843 की खातेदारी अनावेदकगण के नाम दर्शा दी गई जो दुरूस्त किये जाना न्यायोचित है। प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा गलत नक्शों एवं खातेदारी की आड़ में उक्त आराजियात को खुर्द बुर्द किये जाने से अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी इसलिए अप्रार्थीगण को तादौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। इसके विरूद्ध वकील अप्रार्थीगण ने आवेदन के जवाब व काउंटर आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात अप्रार्थीगण के खातेदारी में है तथा राजस्व अभिलेख में खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से कानूनन पाबन्द नहीं किया जा सकता है। प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है एवं अगर आवेदकगण अपनी कुयोजना में सफल हो गये तो असीम क्षति भी अनावेदकगण को ही होगी। इसलिए आवेदन स्थगन खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थीगण का काउंटर आवेदन स्वीकार कर आवेदकगण को तादौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा स पाबन्द फरमाया जावें।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत् 2064–67 ग्राम चैनपुरा तहसील दांतारामगढ के ख.नं. 771, 780, 781 किता 3 कुल रकबा 3.39 है0 प्रार्थीगण के खातेदारी में है मिलान क्षेत्रफल के अनुसार ख.नं. 37 मि. से बने है। पुराने नक्शे के ख.नं. 37 जिस तरह से दर्शा रखा है उसके अनुसार नये नक्शे में नये ख.नं. 771 के साथ 771/842 एवं ख.नं. 781, 780 के साथ ख.नं. 781/843 दर्शाये गये है। वादीगण ने उक्त नक्शो में अंकित नये खसरा नं. को हजफ किये जाने हेतु दावा बाबत दुरूस्त एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। पुराने व नये नक्शें को देखने से जाहिर है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दावा दुरूस्ती के निस्तारण तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखना न्यायहित है। अप्रार्थीगण का काउंटर आवेदन ऐसी स्थिति में स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा विवादित आराजियात ख.नं. 781/842 व 781/843 के खुर्द बुर्द किये जाने से अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजियात 770, 780, 781, 771/842 व 781/843 वाके ग्राम चैनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की मौके एवं रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

की यथास्थिति तादीराने दावा बनाये रखें। मिसल फैसल शुमार होकर मूल दावा के संलग्न हो।

5. यह निर्णय आज दिनांक 13.01.2014 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(एम.आर. बागडिया)
उपखण्ड अधिकारी, कोटारामगढ